4259
20.9.19

7446

फैक्स / ई-मेल

संख्या- 76 /2019 / 989 पी /छः-पु-6-2019-32 विविध /2009

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **पुलिस महानिदेशक**
उत्तर प्रदेश।

2- **अपर पुलिस महानिदेशक**
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।

गृह पुलिस अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 19 सितम्बर, 2019

विषयः **पुलिस अभिरक्षा में रखे गये विचाराधीन बन्दियों को दी जाने वाली खुराक की दरों में वृद्धि के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज के पत्र संख्या-आधु-3/ख-146-2005 दिनांक 07-06-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा थानों पर पुलिस अभिरक्षा में निरूद्ध व्यक्तियों/ बन्दियों को दी जाने वाली खुराक की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव में अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या-2268पी/आठ-6-89-1678/78 दिनांक 30-11-1989 द्वारा पुलिस अभिरक्षा में रखे गये विचाराधीन बन्दियों को दी जाने वाली खुराक दरों को प्रति बन्दी के स्थान पर समान रूप से एक समय के भोजन के लिए रू0 05/- मात्र प्रति बन्दी तथा दो समय के भोजन के लिए रू0 10/- मात्र प्रति बन्दी निर्धारित किया गया है।

यह भी सूचित किया गया कि " लगभग 27 वर्ष उपरान्त भी थानों में पुलिस अभिरक्षा में निरूद्ध बन्दियों को दी जाने वाली खुराक की दरों में वृद्धि नहीं की गयी है जबकि मंहगाई में कई गुना बढोत्तरी हो चुकी है।"

3- **उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज के उक्त प्रस्ताव एवं एक लम्बे अरसे तक खुराक की दरों में वृद्धि न होने आदि तथ्यों का संज्ञान लेते हुए सम्यक विचारोपरान्त श्रीराज्यपाल महोदय पुलिस अभिरक्षा में निरूद्ध व्यक्तियों/ बन्दियों को दी जाने वाली खुराक की दरों में वृद्धि करते हुए {रूपये 25/- भोजन हेतु तथा रूपये 05/- चाय हेतु} अर्थात् कुल रूपये रूपये 30/- (रूपया तीस मात्र) प्रतिदिन प्रति बन्दी तात्कालिक प्रभाव से निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।**

4- पूर्व शासनादेश संख्या-2268पी/आठ-6-89-1678/78 दिनांक 30-11-1989 का संलग्न परिशिष्ट "क" में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एक रजिस्टर में (जिसका डाटा आज के परिप्रेक्ष्य में कम्प्यूटराइज भी रखा जाये) विवरण रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

I/c website
for n.a.

अपर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश
20/9/19.

5- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-26-गृह पुलिस (विभाग) के लेखाशीर्षक **"2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस मुख्य-08-कार्यालय व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-12-/ 1388 /दस-2019 दिनांक 16-09-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-78/2019/989(1)/छः-पु-6-2019-32 विविध /2009 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा- प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक/ स्थापना/ प्रशासन/कानून-व्यवस्था/**तकनीकी सेवाएं**/ लाजिस्टिक/ पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड/ अभिसूचना/ ई0ओ0डब्लू0/ एस0टी0एफ0/ ए0टी0एस0/यू0पी0-100/ टेलीकाम/ विजिलेंस/ अ0नि0सं0/ विशेष जांच/ यातायात/ पी0ए0सी0/ एस0आई0टी0/ सी0बी0सी0आई0डी0/ रूल्स एंड मैनुअल/ मानवाधिकार/ जी0आर0पी0/फायर सर्विस/ सुरक्षा/ महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक- उत्तर प्रदेश।
4. विशेष सचिव, कारागार, उ0प्र0शासन।
5. डी0जी0- कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक (जोन)/ पुलिस महानिरीक्षक (परिक्षेत्र) उ0प्र0।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
9. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
10. **वित्त ई 12 / गृह पुलिस अनुभाग-7 / 9, कारागार-1/2 उत्तर प्रदेश शासन।**
11. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/ सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
12. **मीडिया सेल, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।**
13. **गृह नियंत्रण कक्ष,** उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सर्वसंबधित को ई-मेल/ फैक्स कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड बुक/ संबंधित स0अ0।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

M-GO New